न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 115/2019 दर्ज तिथि:– 02.12.2019

कैलाश पुत्र जगन जाति मीना निवासी जलहरी कोठी पाली अमोलक नगर तहसील महवा

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नि तेजराम
2. कमला देवी पत्नि जगदीशप्रसाद
3. गेंदी देवी पत्नि लखनलाल
4. पूनी देवी पत्नि गोरधन
5. परसादी पुत्र जगन
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा महवा जरिये शाखा प्रबंधक महवा जिला दौसा
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा महवा जरिये शाखा प्रबंधक महवा जिला दौसा
9. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा रामगढ तहसील महवा जिला दौसा जरिये शाखा प्रबंधक

.....अप्रार्थीगण

अधिवक्तागण–

प्रार्थी अधिवक्ता:– श्री गिरधर सिंह

अप्रार्थीगण :– श्री रतनचन्द शर्मा (अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03, 05)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:: <u>निर्णय</u> ::–

निर्णय तिथि:– 23.02.2026

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 304/0.28, 335/0.25, 339/0.29, 347/0.29, 348/0.23, 349/1169/0.02, 351/1.60, 352/0.25, 384/0.73, 387/0.58, 388/0.25, 389/0.35 कुल किता 12 रकबा 5.12 ग्राम अमोलक नगर तहसील महवा जिला

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

(राज०) में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी/प्रार्थी का 1/3 भाग है जिसका राज राजस्व रिकार्ड में उसके नाम अंकित है तथा शेष भाग अन्य सहखातेदारान प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड मुताबिक है जिनका भी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उनके नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात का सभी सहखातेदारान के वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवाडा नहीं हुआ है मौके पर आपस में काश्त की सुविधा के दृष्टिकोण से मौके पर अपने अपने हिस्से मुताबिक बाहमी रूप से बांट रखा है जो कि सिरस निरस हो रहे है जिस पर काश्त करते चले आ रहे है। पहले वादी/प्रार्थी का भाई रामस्वरूप उक्त आराजी में 1/3 भाग का खातेदार था जिसने अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 को विक्रय कर दी तथा प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 ने अपने हिस्से में से कुछ जमीन प्रतिवादी पूनी देवी को विक्रय कर दी है। प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 एवं उनके पति लटठ वाले पैसे वाले आदमी है जो कि लटठ के बल पर वादी/प्रार्थी के हिस्से की जो उसने अच्छे तरीके से मेहनत करके उपजाऊ बना रखी है उस पर कब्जा करना चाहते है तथा जो बिना तकास्मा कराये आराजी को दीगर लटठ वाले लोगों को रहन बय मुन्तकिल करना चाहते है। वादी/प्रार्थी को प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 एवं उनके पति आराजी क्रय करने के समय से ही तंग व परेशान करते चले आ रहे है वादी उनसे हर साल अपना कानूनी तकास्मा कराने के लिए कहता है मगर वे नहीं कराते है तथा सहखातेदार होने के कारण डोल मेड तोडते रहते है तथा चाहे जहां निर्माण करने की धमकी देते रहते है। दिनांक 13.11.2019 को प्रतिवादीगण ने आराजी वादग्रस्त में बिना कानूनी तकास्मा कराये अच्छी जमीन में पुख्ता निर्माण करने के लिए नींव खोदना चालू कर दिया तो वादी/प्रार्थी ने उन्हें समझाया तो वे नहीं माने तथा उन्होनें कुछ हिस्से में नींव खोद दी तथा तेजगति से निर्माण के लिए मेटेरियल इकटठा करने लग गये और नींव खोदते रहे तथा धमकी दी कि इस आराजी में हमारी खातेदारी है हम इस जमीन में से चाहे जहां निर्माण करेगें तथा तेरे रास्ते को बन्द कर देंगे। चाहे जिस जगह को लटठ वाले स्ट्रेन्जर आदमी को रहन, बय मुन्तकिल कर देगें तथा तुझे तेरे हिस्से में भी काश्त नहीं करने देगें तू विरोध करेगा तो तुझे जान से मार देगें कानूनी तकास्मा नहीं करायेगें कहते हुए धमकी देकर चले गये। विवादित आराजी वादी/प्रार्थी की पैतृक है जो उसे पिता जगन से विरासत में प्राप्त हुई है प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 बाद के क्रेतागण है। इसलिये प्रार्थी को दौराने दावा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण लाना लाजिम आया है।

अंत मे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का बिना काननी

उपखण्ड अधिकारी
महुवा (दौसा)

ा कराये उसके किसी निश्चित भाग पर कोई निर्माण नहीं करें तथा उसे रहन बय किल नहीं करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत पैदा नहीं करें राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें तथा इसमें बने प्रार्थी के रास्ते में निर्माण नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 01 लगायत 03, 05 की ओर से श्री रतनचन्द शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये और जबाव पेश किया। अप्रार्थी संख्या 04 व 06 के बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता संख्या 62 वाके ग्राम अमोलक नगर हल्का पाली तहसील महवा जिला दौसा का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 304/0.28, 335/0.25, 339/0.29, 347/0.29, 348/0.23, 349/1169/0.02, 351/1.60, 352/0.25, 384/0.73, 387/0.58, 388/0.25, 389/0.35 कुल किता 12 रकबा 5.12 ग्राम अमोलक नगर तहसील महवा जिला दौसा (राज०) राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवादित आराजी के कानूनी तकास्मा को लेकर विवाद है। विधिवत विभाजन नही होने तक सहखातेदारी की भूमि में सभी खातेदारो का बराबर–बराबर अधिकार व प्रत्येक इंच पर सभी का हक है। अप्रार्थीगण कानूनन बंटवारा किये बिना किसी विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कर प्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर सकते है अथवा विवादित आराजी के विशिष्ट भू–भाग का बेचान कर सकते है जिससे असुविधा भी प्रार्थी को होगी और वाद बाहुलता भी बढेगी। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया तो प्रार्थी अपने कानूनी हक हकूको से वंचित हो जायेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति प्रार्थी को किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। इस प्रकार मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है। इसलिये ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश यह है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नंबर 304/0.28, 335/0.25, 339/0.29, 347/0.29, 348/0.23, 349/1169/0.02, 351/1.60, 352/0.25, 384/0.73, 387/0.58, 388/0.25, 389/0.35 कुल किता 12 रकबा 5.12 ग्राम अमोलक नगर तहसील महवा जिला दौसा (राज०) में प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

हिस्सा तक उसके कब्जा काश्त में कोई दखल पैदा नही करे तथा आराजी में किसी प्रकार का निर्माण नही करें। आराजी को रहन विक्रय या मुन्तकिल नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.02.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा, जिला-दौसा

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
महवा दौसा